तत्काल

संख्या 31011/35/86-स्था0(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के पदों के वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन से यात्रा की हकदारी ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तबादले पर यात्रा की हकदारी के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का लाभ उठाते समय यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा की जानीवाली यात्रा की हकदारी निम्नानुसार होगी :-

1.1 रेल द्वारा यात्रा

वेतन रेंज	श्रेणी की हकदारी
(क) 2800/-रु0 प्रतिमास तथा इससे अधिक	दूसरा दर्जा वातानुकूलित 2-टीयर स्लीपर/पहला दर्जा
(ख) 1400/-रु0 प्रतिमास और उससे अधिक किन्तु 2800/-रु0 प्रतिमास से कम	पहला दर्जा/वातानुकूलित चैयर कार
(ग) 1400/-रु0 प्रतिमास से कम	दूसरा दर्जा(स्लीपर)

उपर्युक्त (क) और (ख) पर दी गई हकदारियां दूसरा दर्जा वातानुकूलित 2-टायर स्लीपर तथा राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चैयर कार के मामले में भी लागू होगी ।

1.2 सड़क द्वारा यात्रा

जो स्थान रेल से जुड़े हुए नहीं है उनकी यात्रा के खर्च में सरकारी कर्मचारियों को निम्नांकित सरकारी सहायता स्वीकार्य होगी :-

(i) जिन मामलों में ऐसी सरकारी परिवहन व्यवस्था मौजूद हो जिसकी बसें नियमित अन्तरालों पर नियत स्थानों के बीच चलती हों और

...2/-

नियत दरों पर किराया लिया जाता हो उनमें परिवहन प्रणाली के उपयुक्त दर्जे के लिए वस्तुत: वसूल किए गए किराये की ही प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

टिप्पणी:-उपयुक्त दर्जे के आशय निम्नानुसार है :-

(क) 1400/-रु० प्रतिमास तथा इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी	वातानुकूलित बसों को छोड़कर किसी भी प्रकार की बस जिसमें सुपर-डीलक्स, डीलक्स, एक्सप्रेस बस आदि शामिल है ।
(ख) 1400/-रु० प्रतिमास से कम वेतन लेने वाले अधिकारी	केवल सामान्य बसों में ही यात्रा की जाएगी । एक्सप्रेस बसों में की गई यात्रा के दावे भी स्वीकार किये जा सकते है बशर्ते कि साधारण बस में सीट न मिलने के कारण एक्सप्रेस बस से वस्तुत: यात्रा की गई हो ।

(ii) जहां सरकारी यातायात व्यवस्था न हो वहां हकदारी का विनियमन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार तबादले पर की जाने वाली यात्राओं के मामले में किया जाता है ।

टिप्पणी:- किसी निजी कार(अपनी मालिकी की, उधार ली हुई या किराये पर ली हुई) अथवा किसी बस, वैन या किसी अन्य सवारी जो कि निजी आपरेटरों के स्वामित्व की हो या उनके द्वारा मांग पर चलाई जा रही हो, उसमें यात्रा करने पर छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार्य नहीं होगी । तथापि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य सरकार के अनुमोदन से नियमित अन्तरालों पर किराये की नियत दरों पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच नियमित सेवा के तौर पर चलाई जा रही निजी बसों से की गई यात्रा स्वीकार्य होगी ।

1.3 समुद्र द्वारा यात्रा

भारत के सीमा क्षेत्र में जो स्थान नौवहन सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके मामले में सरकारी कर्मचारी द्वारा जलयान से की गई यात्रा की हकदारी का विनियमन उस प्रकार से किया जाएगा जैसे की तबादले पर जलयान द्वारा की गई यात्रा के बारे में किया जाता है ।

1.4 ऐसे स्थानों के बीच यात्रा जो कि यातायात के किसी भी साधान से जुड़े हुए नहीं है:-

जो स्थान यातायात के किसी भी साधन से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी यात्रा करते समय सरकारी कर्मचारी खच्चर, हाथी, ऊंट आदि जैसे साधनों का इस्तेमाल कर सकते है । ऐसे मामले में मील दूरी भत्ता उन्हीं दरों पर स्वीकार्य होगा जिन पर तबादले पर की गई यात्राओं के लिए मंजूर किया जाता है ।

2. जिस हकदारी का उल्लेख ऊपर किया गया है उसके प्रयोजनों के लिए वेतन का आशय मूल नियम 9(21)(क)(1) में यथा परिभाषित मूल वेतन से होगा ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले की ही तरह, छुट्टी यात्रा प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों का कोई भी वर्ग रेल द्वारा पहले दर्जे के ए0सी0 सी0 अथवा वातानुकूलित बसों में यात्रा करने का हकदार नहीं होगा ।

4. ये आदेश 1-11-86 से प्रभावी होंगे । 1-11-86 को या उसके बादे छुट्टी यातायात रियायत के संबंध में की गई यात्राओं के जिन मामलों को, इन आदेशों से हटाकर पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है उनकी दोबारा से जांच की जाए और यदि कोई बकाया देय हो तो संबंधित सरकारी कर्मचारियों को उसका भुगतान किया जाए ।

5. जहां तक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए है ।

अ जयरामन
(ए0 जयरामन)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।

संख्या 31011/35/86-स्था0(क) नई दिल्ली, दिनांक अगस्त, 1987

सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित एक प्रति निम्नलिखित को प्रस्तुत है :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
6. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
7. भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, इलाहाबाद ।
8. मंत्री कर्मचारी पक्ष राष्ट्रीय परिषद (जे0सी0एम0), नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य (जे0सी0एम0) ।
10. सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ।
11. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

अ जयरामन
(ए0 जयरामन)
निदेशक